(114)

न्यायालय राजस्व गण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

I/निगरानी/दतिया/भू.रा/2017/4572

1. अवध देवी पत्नी सीताराम पुरोहित
2. राजेन्द्र पुत्र सीताराम पुरोहित
निवासीगण– वार्ड क्रमांक–3
इन्दरगढ़, तहसील–इन्दरगढ़
जिला–दतिया म.प्र.

विरूद्ध

1. आर्दश आयु–5 अव्यस्क पुत्र स्व.सुरेश कुमार
द्वारा संरक्षक मां स्वयं सारिका पत्नी
स्व. सुरेश कुमार पुरोहित
2. सारिका पत्नी स्व. सुरेश कुमार पुरोहित
निवासीगण–इन्दरगढ़, तहसील–इन्दरगढ़
जिला–दतिया म.प्र.

मुकेश बल्लाप्रकार कार्मि
22.11.17

22.11.17

पं०दि० 23-11-17

तहसीलदार तहसील–इन्दरगढ़ जिला–दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक–118/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15/11/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं स्थापित विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि स्थित ग्राम नेतुआपुरा आवेदकगण एवं अनावेदकों के संयुक्त परिवार की सम्पति है उक्त भूमि संयुक्त परिवार द्वारा अर्जित राशि से सुरेश कुमार के नाम से क्रय की गयी थी उक्त भूमि सुरेश कुमार स्वअर्जित भूमि नहीं थी ना ही सुरेश कुमार के पास आय का कोई व्यक्तिगत साधन नहीं था

3. यह कि, सुरेश कुमार आवेदक क्रमांक–1 के पुत्र एवं आवेदक–2 के भाई थे उनकी आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात अनावेदक–2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसमें अनावेदक के रूप में सर्वसाधारण को पक्षकार बनाया गया नामांतरण कार्यवाही की जानकारी होने पर आवेदको ने तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है।

4. यह कि, अनावेदक–2 द्वारा भूमि विक्रय किये जाने के प्रयासो की जानकारी होने पर आवेदकों ने व्यवहारवाद प्रस्तुत किया उक्त व्यवहार वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सेवढ़ा जिला–दतिया के न्यायालय में लंबित है जिसका प्रकरण क्रमांक–111–ए/2017 है व्यवहारवाद में आवेदकों ने इस आशय की घोषणा चाही है कि स्व.सुरेश कुमार के नाम पर अंकित भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति है।

6. यह कि, सुरेश कुमार की मृत्यु होने पर आवेदक–1 ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सेवढ़ा जिला–दतिया के न्यायालय में आवेदन भी प्रस्तुत किया है जिसका प्रकरण क्रमांक 3/2017 है

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./दतिया/भू.रा./2017/4572

अवध देवी आदि विरुद्ध आदर्श आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार इन्दरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-118/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 15/11/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 3/5/19 सदस्य	